



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2020

श्रावण 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या 48/2020/735पी/पुलिस-6-2020-02-विविध-2020

लखनऊ, 13 अगस्त, 2020

अधिसूचना

सा0पी0नि0-52

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2020) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 6 अगस्त, 2020 को ऐसा दिनांक नियत करती हैं जिस दिनांक को उक्त अध्यादेश प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 48/2020/735P/ police-6-2020-02-vividh-2020, dated August 13, 2020:

No. 48/2020/735P/ police-6-2020-02-vividh-2020

Dated Lucknow, August 13, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Special Security Force Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 18 of 2020), the Governor is pleased to appoint August 6, 2020 as the date on which the said Ordinance shall be deemed to have come into force.

By order,

AWANISH KUMAR AWASTHI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 160 राजपत्र-2020-(430)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 03 सा0 गृह (पुलिस)-2020-(431)-450 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/ऑफसेट)।